भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3272

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची

†3272. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'जीवनदान' जैसे कार्यक्रमों और अन्य अंग आवंटन प्रणालियों के तहत अंतिम चरण के गुर्दे की विफलता से पीड़ित बड़ी संख्या में मरीज अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में बने रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दान हेतु उपलब्ध अंगों की कमी के कारण टाली जा सकने वाली मौतें होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में गुर्दे प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे रोगियों की संख्या, पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए प्रत्यारोपणों की संख्या तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल मरीजों में दर्ज मृत्यु दर का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दान हेतु उपलब्ध अंगों की मांग और प्रत्यारोपण के लिए अंगों की उपलब्धता के बीच के अंतर का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का मरणोपरांत अंग दान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियानों को तेज करने, अंग दान प्रक्रियाओं को सरल बनाने और अस्पताल-आधारित अंग पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों को मजबूत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा जीवन बचाने और अंग प्रत्यारोपण तक पहुंच में सुधार लाने के लिए प्रत्यारोपण प्रतीक्षा अवधि को कम करने तथा स्वैच्छिक अंग दान को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम (थोटा), 1994 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) द्वारा संचालित राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण रजिस्ट्री (एनओटीटीआर) पर प्रत्यारोपण करने वाले अस्पतालों द्वारा डेटा रिपोर्टिंग के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगी। दिनांक 27 जुलाई, 2026 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान में गुर्दा प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे रोगियों की संख्या 73,646 है। पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए गुर्दा प्रत्यारोपण का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और गुर्दा प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में रहते हुए मरने वाले रोगियों की संख्या क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक II** में है।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के तहत, अंग दान और प्रत्यारोपण को बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यकलापों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती है।

क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोट्टो) और राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोट्टो) के साथ मिलकर नोट्टो विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देने के लिए जानकारी का प्रसार करने हेतु पूरे देश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। पोस्टर बनाना, नारे लिखना, विशेष प्रतिज्ञा अभियान जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यकलाप नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। अंग और ऊतक दान के बारे में जानकारी, जिसमें आईईसी सामग्री का प्रदर्शन भी शामिल है, नोट्टो वेबसाइट www.notto.mohfw.gov.in के माध्यम से प्रसारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, अंगदान के लिए जानकारी, टेली-काउंसलिंग और समन्वय प्रदान करने हेतु 1800114770 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर वाला 24x7 कॉल सेंटर भी कार्यशील है। प्रतिदिन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से संदेशों का प्रसारण भी किया जा रहा है। नागरिक वेब पोर्टल https://notto.abdm.gov.in के माध्यम से अंग और ऊतक दान की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। आज दिन तक, 5 लाख से अधिक आधार सत्यापित प्रतिज्ञाओं को पंजीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 3 अगस्त, 2026 को राष्ट्रव्यापी एक-वर्षीय जन जागरूकता अभियान, "जुग जुग जियो अभियान" अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्टल को 3 अगस्त 2026 को 'ई-प्रत्यारोपण' नामक एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में अपग्रेड और शुरू किया गया है, ताकि अंग दान और प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया जा सके, पारदर्शिता में सुधार और ज़रूरतमंद रोगियों के लिए सुचारू सेवाओं सुनिश्चित किया जा सके।

अनुलग्नक I

दिनांक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3272 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्टल के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (2021-2025) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार किए गए गुर्दा प्रत्यारोपणों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	2024	2025
आंध्र प्रदेश	245	351	422	410	518
असम	38	64	57	70	84
बिहार	25	22	25	31	60
चंडीगढ़	187	201	325	317	250
छत्तीसगढ़	29	61	59	76	68
दिल्ली	1200	2249	2576	2490	2458
गोवा	8	3	6	10	7
गुजरात	685	869	818	1018	1099
हरियाणा	598	81	94	118	123
हिमाचल प्रदेश	2	2	0	9	23
जम्मू और कश्मीर	21	52	51	48	51
झारखंड	2	7	8	9	8
कर्नाटक	349	523	901	516	859
केरल	701	1120	1065	1139	1108
मध्य प्रदेश	170	226	267	318	328
महाराष्ट्र	928	1056	1305	1461	1475
मणिपुर	10	17	43	40	22
ओडिशा	125	177	197	180	234
पुदुच्चेरी	23	33	61	61	93
पंजाब	482	535	602	466	591
राजस्थान	396	566	687	604	571
तमिलनाडु	1085	1476	1633	1796	1909
तेलंगाना	654	687	775	821	882
त्रिपुरा	0	0	0	2	3
उत्तर प्रदेश	349	225	378	447	599
उत्तराखंड	3	4	26	16	33
पश्चिम बंगाल	790	1098	1045	1003	1021

अनुलग्नक II

दिनांक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3272 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्टल के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों (2021-2025) के दौरान, गुर्दा प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची में रहते हुए मरने वाले रोगियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
बिहार	0	0	0	0	5
चंडीगढ़	0	1	0	17	0
छत्तीसगढ़	0	0	2	1	2
दिल्ली	176	118	159	148	132
गोवा	1	10	0	0	17
गुजरात	6	0	2	1	7
हरियाणा	13	9	7	9	10
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	1
कर्नाटक	0	0	0	0	10
मध्य प्रदेश	9	11	62	13	11
महाराष्ट्र	50	9	30	29	15
ओडिशा	0	0	0	1	0
पुदुच्चेरी	0	0	0	1	1
पंजाब	2	0	0	1	4
राजस्थान	3	0	5	6	19
तमिलनाडु	1	1	0	1	2
उत्तर प्रदेश	4	3	26	20	7
पश्चिम बंगाल	0	0	13	0	1
